कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–स/22444/विविध/2015–16/ दिनांकः– 31.03.16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय

विषयः–शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में।

प्रसंगः–विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2005 एवं 24.03.2009

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्रो द्वारा अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके है। इसके बावजूद शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ द्वारा कक्षा–कक्ष में मोबाईल फोन के उपयोग की प्रवृति के सम्बन्ध में शिकायतें आमतौर पर होती रहती है। उक्त बाबत विभाग के अधीनस्थ समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में मोबाईल फोन के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एतद् द्वारा पुनः निर्देश जारी किए जाते है :–

1. राज्य के समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों के समस्त छात्र/छात्राओं एवं समस्त स्टाफ को कक्षा–कक्ष एवं शाला परिसर में वार्ता करने पर पांबदी लगाई जाकर उल्लघंन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावें।
2. शाला स्टाफ सदस्यों व छात्र/छात्राओं द्वारा एक बार हिदायत देते हुए पुनरावृति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही "राजस्थान असैनिक सेवाएं आचरण नियम–1971" के अनुरूप सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित करें।

उपर्युक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु सूचना पट्ट एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रचार–प्रसार करते हुए क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में मोबाईल फोन के उपयोग पर समुचित प्रतिबंध लगाया जाना सुनिश्चित करें।

(बी०एल०स्वर्णकार)
आई०ए०एस०
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एलालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संस्था प्रधान को ई–मेल पते पर भेजने हेतु।
5. वरिष्ठ संपादक, शिविरा, कार्यालय हाजा को शिविरा के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर